राजस्थान सरकार
स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्रमांक : प. 4(6)स्टे.मो.गै./2010 जयपुर,दिनांक 28 सितम्बर,2010

आदेश

विषयः–राजकीय कार्य हेतु निवास से कार्यालय आने–जाने की वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में विस्तार व सरलीकरण ।

विषयान्तर्गत इस विभाग के आदेश क्रमांकः प.4(6)स्टे.मो.गै./2003 दिनांक 20.1.2004 द्वारा चिन्हित वाहन के उपयोग हेतु अधिकृत पात्र अधिकारियों को राजकीय वाहन से निवास से कार्यालय आने–जाने की सुविधा रूपये 300/–प्रतिमाह के भुगतान पर प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि ऐसे अधिकारियों जिनको राजकीय वाहन अथवा किराये का वाहन आवंटित है को भी निर्धारित राशि के भुगतान पर ऐसे वाहनों का उपयोग निवास से कार्यालय आने–जाने की सुविधा प्रदान की जाये। तदनुसार निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजकीय कार्य हेतु जिन अधिकारियों को राजकीय वाहन/अनुबन्धित किराया वाहन/पूल वाहन आवंटित है,उन अधिकारियों द्वारा ऐसे वाहन का उपयोग निवास से कार्यालय आने–जाने हेतु किया जा सकेगा।
2. मोटर गैराज अथवा विभागीय पूल से आवंटित वाहनों से निवास से कार्यालय आने–जाने की सुविधा भी सक्षम/अधिकृत अधिकारी उपयोग कर सकते हैं ।
3. विभागों में किराये पर लिए जाने वाले अनुबन्धित वाहनों का उपयोग करने वाले अधिकारी भी निवास से कार्यालय आने–जाने की सुविधा हेतु अधिकृत हैं।
4. वाहन के उपयोग करने वाले अधिकारी को निवास से कार्यालय आने–जाने हेतु संभागीय मुख्यालय (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा भरतपुर) हेतु रूपये 500/–प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों हेतु रूपये 300/–प्रतिमाह की दर पर उक्त सुविधा प्रदान की जावेगी । वाहनों के संयुक्त रूप से उपयोग करने वाले अधिकृत अधिकारी यदि उक्त सुविधा लेते हैं तो प्रत्येक अधिकारी अलग अलग निजी रूप से उक्त भुगतान देंगें।
5. जिस अधिकारी को राजकीय/पूल/किराये का वाहन आवन्टित है,उससे उक्त दरों पर राशि की कटौती अनिवार्य रूप से की जावे।
6. उक्त सुविधा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप विभागों को POL मद या वाहन किराये के मद में अतिरिक्त बजट प्रावधान उपलब्ध नही कराया जाऐगा । अतः विभाग वाहनों का उपयोग मितव्ययतापूर्वक करें।
7. नियंत्रण अधिकारी वाहनों की स्वीकृत संख्या के आधार पर उनके निवास से कार्यालय आने–जाने के प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए वेतन बिलो से निर्धारित कटौती के आदेश जारी करेंगे।

उक्त आदेश वित्त विभाग के आई.डी.क्रमांक 261000138 /FD दिनांक 20.9.2010 की सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं तथा यह तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

(किरण सोनी गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

कृ.पृ.उ.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय राज0 जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राज0 जयपुर ।
3. मुख्य सचिव,राजस्थान जयपुर ।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज0 जयपुर ।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशि0शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक आरक्षी,राजस्थान,जयपुर ।
7. समस्त सम्भारीय आयुक्त राजस्थान ।
8. समस्त जिला कलेक्टर /पुलिस अधीक्षक,राजस्थान ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष ।
10. निजी सचिव,लोकायुक्त राजस्थान, जयपुर ।
11. निजी सचिव,अध्यक्ष,राजस्थान विधान सभा,जयपुर ।
12. निजी सचिव,माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर/जोधपुर।
13. निजी सचिव/विशिष्ठ सहायक,माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण,राजस्थान,जयपुर।
14. निजी सचिव,सरकारी मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक,राजस्थान विधानसभा जयपुर
15. महाधिवक्ता,राजस्थान,जयपुर ।
16. सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर ।
17. निबन्धक,राजस्व मण्डल,अजमेर ।
18. सचिव,राजस्थान विधानसभा,जयपुर ।
19. सचिव,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,अजमेर
20. शासन उप सचिव,कार्मिक (ख) विभाग/पंजीयक,शासन सचिवालय,जयपुर
21. मुख्य लेखाधिकारी,शासन सचिवालय जयपुर ।
22. रक्षित पत्रावली ।

28/9/2010

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्रमांक : प. 4(6)स्टे.मो.गै./2010 जयपुर,दिनांक 16 नवम्बर,2010

परिपत्र

विषयः—अधिकारियों द्वारा एक से अधिक वाहन उपयोग नहीं करने बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा राजकीय कार्य हेतु विभिन्न अधिकारीगण को विद्यमान नियमों के अन्तर्गत राजकीय वाहन (किराये के वाहनों सहित)सुविधा प्रदान की हुई है । इन वाहनों का उपयोग नियमों /शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अन्तर्गत किया जाना आवश्यक है ।

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.4(6)स्टे.मो.गै./2010 दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के द्वारा ऐसे अधिकारीगण, जिनको राजकीय कार्य हेतु वाहन उपलब्ध हैं, को घर से आने एवं जाने की सुविधा भी प्रदान की गई है और 500 रूपये (संभागीय मुख्यालय हेतु) एवं 300 रूपये (अन्य स्थानों हेतु) की राशि प्रतिमाह राजकोष में जमा करवाया जाना आवश्यक किया गया है, परन्तु यह देखा गया है कि कुछ अधिकारीगण सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमान्तर्गत उपलब्ध कराई गई वाहन सुविधा के अतिरिक्त उनके अधीनस्थ विभागों/निगमों/संस्थाओं के वाहनों व किन्ही पदों का अतिरिक्त कार्यभार के कारण,अतिरिक्त वाहनों अथवा किराये के वाहनों का उपयोग भी कर रहे है और उनका भुगतान अधीनस्थ विभागों/निगमों/संस्थाओं से करवाया जा रहा है । इस प्रकार कतिपय अधिकारीगण उन्हे अनुमत किए गए एक से अधिक वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, जो नियमों की अवहेलना है और राजकीय वाहनों के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है ।

अतः विद्यमान नियमों/आदेशों की निरन्तरता में निर्देश प्रदान किये जाते है कि सभी अधिकारीगण इस सम्बन्ध में जारी नियमों/आदेशों की पूर्ण पालना करवायें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वाहनों का दुरूपयोग नहीं हो रहा है एवं इस विभाग के उक्त आदेश दिनांक 28 सितम्बर,2010 की पालना में वांछित राशि सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा राजकोष में जमा करवाई जा रही है और कोई भी अधिकारी उनको अधिकृत एक वाहन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वाहन का उपयोग नहीं कर रहा है ।

नियमों की अवहेलना के मामले ध्यान में लाए जाने पर शासन ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाही करने का मंतव्य रखता है ।

कृपया इन निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें ।

(किरण सोनी गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल महोदय राजस्थान जयपुर ।
2 प्रमुख सचिव, सचिव मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर ।
3. निजी सचिव,मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव, राजस्थान,जयपुर ।
4. निजी सचिव मुख्य सचिव,राजस्थान, जयपुर ।
5 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्थान सरकार ।
6 राजकीय उपक्रम ब्यूरों (सार्वजनिक उपक्रम विभाग) राजस्थान, जयपुर ।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,समस्त राजकीय उपक्रम ।
8. समस्त विशेषाधिकारी/उप शासन सचिव, वित्त विभाग ।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
11. समस्त कोषाधिकारी ।
12. प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडिफिकेशन) को 7 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
13. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव,राजस्थान विधानसभा,जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल,राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर ।
3. सचिव, लोकायुक्त,राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर ।
5. सचिव,राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर ।

शासन उप सचिव 16/1/2010